# फर्द अहकाम

वेलाराम वगैरह बनाम मालीराम वगैरह

नाम न्यायालय ACM शाहपुरा

केस संख्या 51/21

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 10/1/24 | वकील उभय पक्ष उपस्थित / वकील उभय पक्ष श्री बा० फ० 0/R10 CPC में बहस हुई। मूल वाद में बा० पत्र 0/R10 CPC दाखिल किये जाने से सन्दर्भ I बा० पत्र के श्री बा० पत्र 0/R10 CPC दाखिल किया जाता है। पत्रावली अग्रिम आदेशार्थ दिनांक 23-1-23 को पेश हो। | |
| | | सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर राज. | |
| | 23/1/24 | वकील बाबी उभय। बाबीगण को नोटिस जारी नहीं किये उपस्थित नहीं है। वकील बाबी के कथन का। वकील बाबी दिनांक 18/10/24 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक सन्दर्भ किये जाने का निवेदन किया। इसके वकील बाबी श्री बहस पर मनन किया। मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रकरण में बाबी अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद तक निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः दिनांक 18/10/24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक सन्दर्भ किया जाता है। पत्रावली जैसाराम कुमार अपर सिविल मूलवाद के समक्ष पेश हो। | |
| | | सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. | |